

आज की तारीख से 180 दिन के अंदर माननीय उच्च न्यायालय से अनुमति मिलने के उपरांत समस्त प्रतिफल प्राप्त करके केता के हक में केता के खर्चा से बैनामा तहरीर व तकमील कराकर रजिस्टर्ड करा देगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह अनुबन्ध शून्य समझा जायेगा और इस प्रलेख की पाबन्दी केता व विकेता व उनके वारिसानों पर हर दशा में मान्य होगी और हर नुकस मिलिकियत की समस्त जिम्मेदारी विकेता/प्रथम पक्ष की होगी। अतः अपनी सही बुद्धि व स्वेच्छा से बिना किसी दबाव के उक्त प्लाट के बाबत यह अनुबन्ध पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

चौहद्दी उक्त प्लाट-


पूरब - प्लाट प्रत्युष वत्सला

पश्चिम - 25 फिट रोड

उत्तर - 25 फिट रोड


दक्षिण - शेष भाग खसरा नं0-194 (जीतू शर्मा)

(विकेता) दुर्गेश शर्मा


(केता)   
23/9/22


गवाह-1

गवाह-2



तहरीर तारीख-23.09.2022

  
23/9/22

ATTESTED  
  
ASHOK KUMAR DIXIT  
Advocate & Notary  
Mob. 9839361344  
23/9/22